राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

अपील संख्या :– 2851/2025

मनीष कुमार जाटव –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, खैरथल–तिजारा।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुरादबस, ब्लॉक तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.05.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक पद ग्रेड–III, लेवल–2 हिन्दी के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुरादबास, ब्लॉक तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उबरका, ब्लॉक तिजारा से शहीद टेकचंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रानोठ ब्लॉक मुंडावर में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 हिंदी के पद स्थानांतरित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–03 के आदेश दिनांक 16.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा आदेश दिनांक 06.12.2024 में संशोधन करते हुए अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उबरका (निम्बाहेड़ी), तहसील तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुरादबास, तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–1 के पद पर स्थानांतरित/पदस्थापित किया गया है,

जबकि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 हिन्दी के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.12.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का पदनाम अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 से अध्यापक ग्रेड–III लेवल–1 में परिवर्तित कर दिया गया। उनका आगे कथन है कि संबंधित जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की सहमति लिए बिना नियम–1996 के नियम–289 का एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अधिशेष कार्मिको से संबंध में जारी आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–3) का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किया गया है। जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अधिशेष कार्मिकों के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है किः–

> 15. अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जावेः–
>
> I. उसी विद्यालय में रिक्त पद होने पर
>
> II. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर
>
> III. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर
>
> IV. ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर
>
> V. सम्बन्धित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर, अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर यथासम्भव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में।

3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर तिजारा ब्लॉक में लेवल–2 हिंदी के तीन पद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरचंदपुर, अरंडका (रूपबास) एवं रुस्तम का बास में रिक्त है, पर लगाये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिवल रिट पिटिशन संख्या 1665/2025 पवन मीणा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 (अनुलग्नक–5) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.12.2024 एवं 20.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे एंव प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि प्रत्यर्थी

संख्या 2 के आदेश दिनांक 14.11.2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी को नजदीकी स्थान पर पदस्थापित किया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य